



प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड,

अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव,

रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) से आच्छादित जनपदों हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-3366/यूपीडा/गंगा/2019/एफ दिनांक 15.02.2021 में किये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद् निर्माण कार्य" मद में अवशेष प्राविधानित धनराशि रु. 1284.81 करोड़ में से परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों यथा-जिलाधिकारी-मेरठ को रु0 70.00 करोड़, जिलाधिकारी-बुलन्दशहर को रु0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी-हापुड को रु0 115.00 करोड़, जिलाधिकारी-अमरोहा को रु0 40.00, जिलाधिकारी-संभल को रु0 95.00 करोड़, जिलाधिकारी-बंदायू को रु0 145.00 करोड़, जिलाधिकारी-शाहजहापुर को रु0 68.00 करोड़, जिलाधिकारी-हरदोई को रु0 140.00 करोड़, जिलाधिकारी-उन्नाव को रु0 150.00 करोड़, जिलाधिकारी-रायबरेली को रु0 130.00 करोड़, जिलाधिकारी-प्रतापगढ़ को रु0 80.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी-प्रयागराज को रु0 40.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 1098.00 करोड़ (रु0 एक हजार अठान्नवे करोड़ मात्र) निर्गत कर परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि भूमि क्रय हेतु आवंटित आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 - (5) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
 - (6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (7) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
 - (8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, दिनांक 18.05.2020 तथा दिनांक 29.09.2020 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (10) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
 - (11) किसी भी परिस्थिति में भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
 - (12) प्रशासकीय विभाग धनराशि से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- 3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-164/दस-2021 दिनांक 05.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-11/2021/434 (1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, जनपद-मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बंदायू, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।